

To,
The Nodal Officer
FCA, Jaipur

**Sub.- Compliance Report of Received EDS letter regarding Forest diversion proposal
No. FP/RJ/ROAD/149560/2021**

Ref.- Online EDS- Dated 04-01-2022

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS letter Regarding **Construction of Widening ,Strengthening on SH-32A From Jhameshwarji to Jagat Road KM Stone No-67/0 to 80/0, Tehsil-Kotra ,District -Udaipur (Rajasthan)** Forest diversion proposal No. **FP/RJ/ROAD/149560/2021**

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on MoEF Web Portal for your reference and further Processing.

S.N.	EDS raised by Forest Department	Reply by User Agency
1.	many proposals of Udaipur district are pending under DRAFT mode, and pending at user agency Mode. So, please take action on all the proposal then only the new proposal will be considered.	1. FP/RJ/ROAD/30720/2017 दिनांक 08.04.2019 को नॉडल जयपुर से वार्तानुसार प्रस्ताव की कमी को पूर्ति कर दिनांक 11.04.2019 को नॉडल अधिकारी जयपुर को प्रेषित की गई। नॉडल अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 18.05.2019 को ईडीएस लगाकर पीडब्ल्यूडी उदयपुर को प्रेषित। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिनांक 24.05.2019 को ईडीएस की पूर्ति कर पुनः नॉडल अधिकारी जयपुर को प्रेषित। नॉडल अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 03.09.2019 को पुनः आक्षेप लगाकर पीडब्ल्यूडी को प्रेषित। पूर्व में वनक्षेत्र तक सड़क होने से पीसीसीएफ के आदेशानुसार सड़क को राजस्व क्षेत्र तक बदलने के लिये संशोधित प्रस्ताव शेष।
		2.FP/RJ/ROAD/38770/2019 नॉडल अधिकारी जयपुर को दिनांक 13.12.2019 को हार्डकॉपी प्रस्तुत करने का आदेश प्रेषित। पीडब्ल्यूडी द्वारा हार्ड कॉपी दिनांक 13.01.2020 को प्रेषित की गयी। सहायक वन संरक्षक उदयपुर मौका निरीक्षण रिपोर्ट उपवन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित। प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिनांक 02.06.2020 को नॉडल जयपुर को प्रेषित नॉडल जयपुर द्वारा दिनांक 04.06.2020 को राज्य सरकार को प्रेषित। प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित।
		3.FP/RJ/ROAD/20374/2016 नॉडल अधिकारी जयपुर को दिनांक 07.01.2020 को हार्डकॉपी प्रस्तुत करने का आदेश प्रेषित। पीडब्ल्यूडी द्वारा उपवन संरक्षक उदयपुर को दिनांक 18.02.2020 हार्ड कॉपी प्रेषित। मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 02.06.2020 को नॉडल अधिकारी जयपुर में प्रेषित नॉडल अधिकारी जयपुर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 04.06.2020 को राज्य सरकार को प्रेषित राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्रेषित क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा आक्षेप लगाकर पुनः राज्य सरकार को प्रेषित। प्रस्ताव राज्य सरकार के यहां पेण्डिंग।
		4. FP/RJ/ROAD/20373/2016 दिनांक 27-05-2019 की प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक अनुसार उक्त सड़क को उपवन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित कर की उक्त बसावट की वैधता की रिपोर्ट बनाकर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जयपुर को प्रेषित करे। उपवन संरक्षक उदयपुर द्वारा दिनांक 06.09.2019 को बसावट की वैधता की रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिनांक 27.01.2020 को आक्षेप की पूर्ति कर नॉडल अधिकारी जयपुर को प्रेषित। नॉडल अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 12.02.2020 को पुनः आक्षेप लगाकर पीडब्ल्यूडी को प्रेषित।
		5. FP/RJ/ROAD/31634/2018 दिनांक 27.05.2019 की प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक अनुसार उक्त सड़क को उपवन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित कर उक्त बसावट की वैधता की रिपोर्ट बनाकर उपवन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर

		को प्रेषित करे। दिनांक 27.05.2019 की प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक अनुसार प्रस्तावित सड़क वन क्षेत्र में समाप्त होने से स्वीकृति नहीं देने की अनुशांसा की है। एवं उक्त सड़क को उपवन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित करे। उपवन संरक्षक उदयपुर द्वारा दिनांक 19.12.2019 को बसावट की वैद्यता की रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिनांक 07.01.2020 को आक्षेप की पूर्ति कर नॉडल अधिकारी जयपुर को प्रेषित। नॉडल अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 16.01.2020 को पुनः आक्षेप लगाकर पुनः पीडब्ल्यूडी को प्रेषित।
		6. FP/RJ/ROAD/31316/2018 दिनांक 08.04.2019 को नॉडल अधिकारी जयपुर से वार्तानुसार प्रस्ताव में उक्त सड़क वन क्षेत्र में समाप्त होने से उक्त सड़क के प्रस्ताव को निरस्त करने योग्य माना है। दिनांक 27.05.2019 की प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक अनुसार दिनांक 27.05.2019 की प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक अनुसार प्रस्तावित सड़क वन क्षेत्र में समाप्त होने से स्वीकृति नहीं देने की अनुशांसा की है। एवं उक्त बसावट की वैद्यता की रिपोर्ट बनाकर उपवन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित करे। उपवन संरक्षक उदयपुर उत्तर द्वारा अपनी तत्थात्मक टिप्पणी बनाकर मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित। उक्त सड़क वन क्षेत्र में समाप्त होने की रिपोर्ट प्रेषित की गई।
		7. FP/RJ/ROAD/30721/2017 दिनांक 08.04.2019 को नॉडल अधिकारी जयपुर से वार्तानुसार प्रस्ताव में उक्त सड़क वन क्षेत्र में समाप्त होने से उक्त सड़क के प्रस्ताव को निरस्त करने योग्य माना है। दिनांक 27.05.2019 की प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक अनुसार उक्त सड़क को उपवन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित कर की उक्त बसावट की वैद्यता की रिपोर्ट बनाकर उपवन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित करे। वन विभाग के साथ मौका निरीक्षण के दौरान गांव वालों द्वारा सड़क की आवश्यकता नहीं होने से निरस्त होने योग्य एवं इस सड़क को निरस्त हेतु प्रस्तावित कर दी गई है।
		8. FP/RJ/ROAD/39691/2019 प्रस्ताव दिनांक 3.04.2019 को ऑन लाईन कर दिया गया है। दिनांक 27.05.2019 की प्रधान वन संरक्षक एवं मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक अनुसार प्रस्तावित सड़क वन क्षेत्र में समाप्त होने से स्वीकृति नहीं देने की अनुशांसा की है एवं उक्त सड़क को उपवन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित कर की उक्त बसावट की वैद्यता की रिपोर्ट बनाकर उपवन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित करे। उपवन संरक्षक उदयपुर द्वारा दिनांक 06.09.2019 को बसावट की वैद्यता की रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित। उपवन संरक्षक की रिपोर्ट के अनुसार बसावट अवैद्य है।

Submitted for necessary action and approval please.

Enclosed: - As above.

Place : Udaipur
Date : 18-1-2022


(अशोक कुमार उपाध्याय)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड-प्रथम
उदयपुर
(Ashok Kumar Upadhyay)
Executive Engineer ,
District Division-I
Udaipur